भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2740
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- किसानों के कल्याण हेतु केन्द्रीय योजनाएं
2740. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
डॉ. रानी श्रीकुमारः
श्री जी. सेल्वमः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.
(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख केंद्रीय योजनाएं लागू की हैं और तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है,
(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है और आय में वृद्धि, सिंचाई, फसल बीमा, संस्थागत ऋण, कृषि यंत्रीकरण और बाजार पहुंच सुगम बनाने के लिए कितनी सहायता दी गई है,
(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के तमिलनाडु में कृषि उत्पादकता, किसानों की आय और छोटे एवं सीमांत किसानों के कल्याण पर प्रभाव का कोई आकलन किया है,
(घ) राज्य में पात्र किसानों को लाभों के बारे में जानकारी, डिजिटल पहुंच, अभिसरण और समय पर प्रदाय में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और
(ङ) तमिलनाडु में किसानों के कल्याण को सुदृढ़ करने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) भारत सरकार तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है जिसमें कृषि के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, अधिसूचित फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में कार्यान्वित कृषि संबंधी योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से संस्थागत ऋण सुगम बनाया जाता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के माध्यम से फसल जोखिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) जैसी योजनाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलोपरांत सुविधाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। सिंचाई के संबंध में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शामिल है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), कृषि मशीनरी बैंकों और हाई-टेक केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बाजार पहुंच और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए, तमिलनाडु में 213 मंडियों/विनियमित बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ एकीकृत किया गया है। ई-नाम किसानों को ऑनलाइन बोली, गुणवत्तापूर्ण जांच, वास्तविक समय मूल्य जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी सुविधाओं के साथ एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच प्रदान करता है, जिससे खरीदारों का दायरा बढ़ता है और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य

निर्धारण संभव होता है। इस मंच ने व्यापारियों की राज्यव्यापी भागीदारी को भी सुगम बनाया है, और वर्तमान में ई-नाम पोर्टल पर तमिलनाडु में 13,000 से अधिक पंजीकृत व्यापारी हैं। राज्य में कुल व्यापार मात्रा 38,49,648.2 मीट्रिक टन और कुल व्यापार मूल्य ₹10,611.42 करोड़ दर्ज किया गया है। इसके अलावा, ₹30.023 करोड़ मूल्य की 4,564.653 मीट्रिक टन वस्तुओं का अंतरराज्यीय व्यापार हुआ है।

ये सभी उपाय मिलकर जल उपयोग की दक्षता में सुधार करते हैं, कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने में सुविधा प्रदान करते हैं, किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिमों से बचाते हैं और लाभकारी बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करते हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों का जिलावार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है, तथापि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) और यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी (एम एंड टी) के तहत जारी निधियों की राज्यवार स्थिति भी **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) नीति आयोग ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन और व्यापक आकलन किया है ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, परिणाम और कार्यान्वयन की जांच की जा सके। मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चलता है कि खाद्यान्न और बागवानी में कृषि क्षेत्र का प्रभावशाली प्रदर्शन पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और रोजगार सृजन में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते विविधीकरण, डिजिटल एकीकरण और सहायक नीतिगत फ्रेमवर्क के साथ, यह क्षेत्र अधिक अनुकूल, समावेशी और बाजार से जुड़े विकास मॉडल की ओर अग्रसर है। हाल के वर्षों में कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं की व्यापक श्रृंखला उत्पादकता, स्थिरता और प्रशासनिक सुधारों को मिलाकर समग्र विकास की दिशा में एक कार्यनीतिक बदलाव को दर्शाती है। इन निरंतर हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 376.56 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2013-14 में 280.70 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 377.77 मिलियन टन (दूसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान तमिलनाडु सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2018 से जून 2019 के कृषि वर्ष के संदर्भ में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 70वां दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां दौर) में 10,218 रुपये हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू व्यय में निम्नलिखित वृद्धि दिखाई देती है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-24
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996

(घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने और समय पर फसल प्रबंधन संबंधी उपायों में सहायता प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित विश्लेषणात्मक प्रणालियों का उपयोग कर रहा है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), जो उपग्रह, मौसम, मिट्टी, फसल संबंधी संकेत, जलाशय और भूजल डेटा सहित भू-स्थानिक

और गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करती है, सूखे की स्थिति, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और बाढ़ की निगरानी करने में सक्षम बनाती है, जिससे लगभग वास्तविक समय में जोखिम संबंधी चेतावनी प्रदान की जा सके और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में फसल हानि के जोखिम को कम करने के लिए फसल प्रबंधन संबंधी उपायों में सहायता मिल सके।

भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली) कृषि के लिए एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को एआई-सक्षम, वास्तविक समय और स्थान-विशिष्ट कृषि सलाह तथा सरकारी योजनाओं और कृषि सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन और एक समर्पित टेलीफोन लाइन के माध्यम से उपलब्ध है। टेलीफोन सेवा दो भाषाओं में उपलब्ध है और एआई चैटबॉट, वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन तमिल सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) वास्तविक समय में कीटों की निगरानी और एकीकृत कीट प्रबंधन संबंधी सलाह प्रदान करती है, जबकि यस-टेक पहल द्वारा समर्थित पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान के साथ व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित मौसम संबंधी सलाह देता है, जिससे किसानों को कृषि संबंधी सूचित निर्णय लेने में लाभ होता है।

विभिन्न योजनाओं के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि किसानों को वित्तीय सहायता का समय पर अंतरण सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) द्वारा किसानों की जागरूकता और क्षमता को भी मजबूत कर रही है। एटीएमए के अंतर्गत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, अनुभव यात्राओं, किसान क्षेत्र विद्यालयों, किसान मेलों और जनसंचार अभियानों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे सूचित निर्णय लेने और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विभाग, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), विस्तार अभियानों, किसान प्रशिक्षणों, प्रदर्शनों और मल्टीमीडिया आउटरीच के माध्यम से जागरूकता को और बढ़ाया जाता है।

(ड.) सरकार उच्च उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, संसाधनों के कुशल उपयोग और किसानों की आय में वृद्धि पर केंद्रित एक व्यापक कार्यनीति के माध्यम से तमिलनाडु सहित पूरे देश में किसान कल्याण को मजबूत करने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ), फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फसल विविधीकरण, गुणवत्तापूर्ण बीजों का संवर्धन, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक कृषि, डिजिटल कृषि, मशीनीकरण, फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल्यवर्धन, बाजार संपर्क और संस्थागत ऋण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, आईसीएआर, जलवायु-अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) के माध्यम से जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सूखा प्रतिरोधी किस्मों के विकास पर अनुसंधान और विकास गतिविधियां संचालित करता है।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) -**पीएम-किसान यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

2. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) -**किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए, सरकार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य ह्रास भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटकों के साथ पीएम-आशा योजना कार्यान्वित करती है। पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जाती है, जब भी बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है। पीडीपीएस के तहत एमएसपी और आदर्श/बिक्री मूल्य के बीच के भावांतर का भुगतान पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधे किया जाता है, जो एपीएमसी में अपने उचित गुणवत्ता की अधिसूचित तिलहन की बिक्री/व्यापार करते हैं। यह भुगतान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है। एमआईएस के तहत उन नाशवान प्रकृति की कृषि और बागवानी फसलों की खरीद/कवरेज की जाती है जिनके लिए एमएसपी घोषित नहीं किया गया है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) -**पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। देशभर के किसानों से बेहद कम प्रीमियम लिया जाता है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 5% है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) छोड़कर जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

4. **संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) -**एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% के अग्रिम ब्याज अनुदान प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

5. **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) -**पीएमकेएमवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है, तथापि कुछ अपवाद भी लागू होते हैं। अंशदान राशि किसान की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक होती है। भारत सरकार भी प्रत्येक लाभार्थी के लिए किसान को उतनी ही राशि का योगदान देती है।

6. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) –**एमआईडीएच के अंतर्गत, आम सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। रोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जी के बीजों का उत्पादन, उन्नत किस्मों से क्षेत्र का आवरण, पुराने बागानों का पुनरुद्धार, संरक्षित खेती, जल संसाधनों

का सृजन, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), जैविक खेती, जिसमें जैविक इनपुट का स्थानीय उत्पादन भी शामिल है, जैसी गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि फलों और सब्जियों का विकास हो सके। किसानों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण के लिए भी उन्नत तकनीकों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना में उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन की व्यवस्था भी शामिल है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम -** राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम - यह मिशन किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अंतरफसल खेती के लिए आवश्यक सामग्री, चार वर्ष की विकास अवधि के दौरान रखरखाव और पुराने एवं अनुत्पादक बागानों के पुनर्रोपण में सहायता शामिल है। कृषि मशीनरी और सिंचाई सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सामग्रियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने और सुनिश्चित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने व्यवहार्यता अंतर भुगतान (वीजीपी) व्यवस्था आरंभ की है, जो किसानों को प्रतिकूल प्राइस शॉक के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

8. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन -**एनएमईओ-ओएस का उद्देश्य कृषि संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी भागीदारों को शामिल करते हुए फसल-विशिष्ट समूहों के भीतर अनुसंधान, उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से लगभग 60% उपज अंतर को कम करके घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है। यह मिशन परती और अंतर्फसली क्षेत्रों में तिलहन के विस्तार को बढ़ावा देता है, बीज पद्धतियों को सुदृढ़ करता है और मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से बाजार संबंधों को बेहतर बनाता है।

9. **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन –** दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। छह वर्षों की अवधि में ₹11,440 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह मिशन अरहर, उड़द और मसूर के संवर्धन पर विशेष बल देता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना, खेती के क्षेत्र का विस्तार 35 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है - विशेष रूप से धान की परती भूमि में और अंतरफसल प्रणालियों के माध्यम से - लगभग 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना और बेहतर बीज उपलब्धता, उन्नत कृषि पद्धतियों और सुदृढ़ विस्तार समर्थन के माध्यम से उत्पादकता को 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है।

10. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) –** इस मिशन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित एग्रो इकोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इसका लक्ष्य सततता, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। किसानों को सरल प्रमाणन प्रणाली और एक विशेष ब्रांडिंग प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाजार में सुगमता से बेच सकें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनएमएनएफ के कार्यान्वयन के रियल टाइम में जियो-टैग और संदर्भ के साथ निगरानी की जाती है। मिशन के तहत, प्रति किसान प्रति एकड़ ₹4,000 की उपज आधारित प्रोत्साहन राशि दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

11. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) –**एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/हाइब्रिडो के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

12. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)**- इन क्रियाकलापों में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने पर बल दिया जाता है, साथ ही मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त उत्पादों के फसलोपरांत प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण, विपणन, मूल्यसंवर्धन आदि शामिल हैं और इन गतिविधियों के लिए अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया जाता है।

13. **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)** किसानों के लिए कृषि मशीनरी को अधिक सुगम और किफायती बनाने के प्रयोजनार्थ से, कृषि मशीनरी की खरीद के लिए किसानों की श्रेणी के आधार पर मशीनरी की लागत का 40-50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे एवं सीमांत किसान/पूर्वोत्तर राज्य के किसान/महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता मशीनरी की लागत का 50% है। किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, परियोजना लागत के 250 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80% वित्तीय सहायता 30 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए एफपीओ और एसएचजी को प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एफएमबी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की दर परियोजना लागत का 95% है।

14. **कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) -**यह योजना राज्य सरकारों के कृषि विस्तार प्रणाली के पुनरुद्धार और किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्तम कृषि पद्धतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करती है ताकि विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों का जुटाव और कृषि विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

15. **डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) -**डिजिटल कृषि मिशन ने देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाने के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि डीएसएस) और भूमि उर्वरता प्रोफाइल जैसे डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके साथ, किसान-केंद्रित नए डिजिटल सॉल्यूशनों को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
'भारत-विस्तार' (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल रूप से एकीकृत प्रणाली) एक बहुभाषी एआई उपकरण है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करने और किसानों को अनुकूलित परामर्शी सहायता प्रदान करके जोखिम को कम करने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पद्धतियों से संबंधित पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है।

16. **राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)-** एनबीएम का ध्यान मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर है। इसका उद्देश्य समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना है। एनबीएम के तहत किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को बांस नर्सरी, बांस बागान और प्राइमरी प्रोसेसिंग, उत्पाद प्रबंधन और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मूल्य श्रृंखला यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

17. **सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना-** इसका गठन राज्यों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए किया गया था, जिसमें द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों का जैविक खाद और जैव उर्वरकों के साथ विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है, ताकि सॉयल हेल्थ और उसकी उत्पादकता में सुधार हो सके। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परिचर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

18. **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** यह योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) जैविक क्लस्टरों का गठन करना है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीएल) के माध्यम से ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान की जाती है।

19. **प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)** यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ इंस्टॉल करने के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

20. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)** इस योजना के तहत, राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अपने व्यय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। राज्यों को योजनाओं के चयन, योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अनुकूलन और स्वायत्तता प्राप्त है, ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश कर सकें। वर्ष 2015-16 से, योजना का वित्तपोषण अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तपोषण पेटर्न 100% केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। इस योजना में नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम के लिए भी निधि शामिल है।

21. **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)** धान की अत्यधिक जल खपत वाली फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रूख करने के लिए सीडीपी क्रियान्वित की गई थी। सीडीपी के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन वस्तुओं, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल को परिवर्तित करने के लिए सीडीपी का विस्तार किया गया था।

22. **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)** यह योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। भूमि के आकार की परवाह किए बिना, आरएडी घटक के तहत प्रत्येक किसान परिवार को उनकी भू-जोत के आकार की परवाह किए बिना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
23. **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड (एनएमबी) -** मखाना (फॉक्स नट) क्षेत्र के समेकित विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड (एनएमबी) की स्थापना की गई। बोर्ड का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में सुधार करना, फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को सुगम बनाना, तथा प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों की क्षमता का विकास करना है।

24. **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)** - एआईएफ के अंतर्गत इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि संबंधी परिसंपत्तियों जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग और

सॉर्टिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग केंद्र, पैक हाउस और अन्य आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण दिया जाता है। यह योजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

25. **10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन-** देश में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए एक स्पष्ट कार्यनीति और समर्पित संसाधनों के साथ परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन करना है। प्रत्येक एफपीओ 3 वर्षों की अवधि के लिए 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफपीओ सदस्य किसान को 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये है। साथ ही, पात्र ऋणदाता संस्थाओं से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि एफपीओ को संस्थागत ऋण की सुविधा मिल सके। एफपीओ के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी उचित प्रावधान किए गए हैं।

26. **स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर) -**एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े स्टार्टअप्स को सहयोग देना है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर तथा पूंजी उपलब्ध कराकर स्टार्टअप्स की वृद्धि को गति दी जा सके। इसके अलावा, यह युवा उद्यमियों और उनके नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगी और कृषि में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही, यह नई तकनीकों और मशीनरी को अपनाने के लिए बढ़ावा देकर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों की सहायता करेगी। एसईबीआई द्वारा पंजीकृत श्रेणी II, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में ₹750 करोड़ का मिश्रित पूंजी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का योगदान ₹250 करोड़, नाबार्ड का ₹250 करोड़ है और बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों से ₹250 करोड़ जुटाए जा रहे हैं।

27. **एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) -**आईएसएएम, बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से कृषि उपज विपणन के संचालन में राज्य सरकारों की सहायता करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, महिला/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों, पीएसीएस और एफपीओ आदि के लिए 33.33% और अन्य के लिए 25% की सब्सिडी उपलब्ध है।

28. **प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) -**इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्षित करना है, जिसमें 11 विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी भागीदारी के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि डीडीकेवाई जिलों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

29. **कृषि वानिकी**- यह योजना कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों को 100% वित्तीय सहायता और निजी एजेंसियों, निजी किसानों और उद्यमियों को नर्सरी स्थापित करने और पौध उगाने के लिए 50% सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य किसानों की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना, उन्नत कृषि वानिकी मॉडल को अपनाने को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री एवं उन्नत कृषि पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ावा देना है।

अनुबंध II

केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत जिलावार विवरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस): वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जिलावार कवरेज और भुगतान किए गए दावों की रिपोर्ट

क्र. सं.	जिले	2021-22 से 2025-26 तक		
		पंजीकृत आवेदन (आँकड़े संख्या में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	भुगतान किये गये आवेदन (आँकड़े संख्या में)
1.	अरियालुर	9,66,611	64.32	4,06,420
2.	चेंगलपट्टू	70,811	6.27	28,884
3.	कोयंबटूर	6,081	2.18	3,065
4.	कुड्डालोर	23,35,611	242.31	8,92,394
5.	धर्मपुरी	92,169	19.82	43,746
6.	डिंडीगुल	72,060	13.22	26,452
7.	इरोड	15,363	4.32	6,292
8.	कल्लाकुरिची	8,73,793	78.72	4,18,032
9.	कांचीपुरम	1,86,693	25.24	80,475
10.	कन्याकुमारी	15,928	1.07	5,623
11.	करूर	82,346	12.88	27,920
12.	कृष्णागिरी	22,551	4.32	9,096
13.	मदुरई	2,51,715	26.06	77,827
14.	माइलादुत्रयी	17,67,282	309.42	8,12,935
15.	नागपट्टिनम	16,04,999	176.57	4,18,780
16.	नमक्कल	2,03,416	61.11	1,20,833
17.	पेराम्बालुर	9,41,098	199.93	4,98,893
18.	पुदुक्कोट्टई	14,91,744	101.52	2,57,600
19.	रामनाथपुरम	29,11,948	477.98	5,94,353
20.	रानीपेट	2,13,248	17.65	73,565
21.	सलेम	1,13,952	20.61	45,395
22.	शिवगंगा	17,16,927	122.20	2,81,975
23.	तेनकासी	5,53,802	82.89	2,17,457
24.	तंजावुर	24,71,107	166.63	5,13,357
25.	नीलगिरि	2,614	0.83	719
26.	तेनी	3,176	0.87	1,507
27.	तिरुवल्लुर	8,19,257	67.92	3,11,820
28.	थिरुवरुर	31,97,239	405.70	9,27,232
29.	तूतुकुड़ी	3,23,515	76.68	1,55,636
30.	तिरुचिरापल्ली	7,34,045	104.21	1,95,287
31.	तिरुनेलवेली	1,23,562	31.14	43,697
32.	तिरुपथुर	55,797	17.62	43,066
33.	तिरुपूर	13,055	10.76	4,611
34.	तिरुवन्नामलाई	6,88,887	47.93	2,03,812
35.	तूतीकोरिन	12,60,017	339.20	4,77,269
36.	वेल्लोर	8,716	2.30	4,142
37.	विल्लुपुरम	14,54,177	177.13	4,60,638
38.	विरुधुनगर	7,95,562	95.44	2,68,526

नोट: स्रोत: एनसीआईपी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

क्र. सं.	ज़िले	2023-24					
		14वीं किस्त (अप्रैल 2023 - जुलाई 2023)		15वीं किस्त (अगस्त 2023 - नवंबर 2023)		16वीं किस्त (दिसंबर 2023 - मार्च 2024)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
1	अरियालुर	66,029	14.02	62,970	15.14	65,993	15.20
2	चेंगलपट्टू	27,887	5.75	25,424	5.81	26,488	5.82
3	चेन्नई	36	0.01	35	0.01	38	0.01
4	कोयंबटूर	42,493	8.98	41,780	10.08	44,574	10.64
5	कुड्डालोर	74,591	15.26	70,860	17.60	77,339	18.69
6	धर्मपुरी	92,748	19.23	93,599	22.98	97,056	22.54
7	डिंडीगुल	70,718	14.82	68,846	17.71	72,151	17.02
8	इरोड	69,262	14.68	67,486	15.37	71,194	16.41
9	कल्लाकुरिची	76,598	15.83	71,152	15.47	73,155	15.75
10	कांचीपुरम	20,715	4.62	19,568	4.68	21,261	5.19
11	कन्याकुमारी	1,08,078	22.83	1,11,045	28.33	1,20,398	31.66
12	करूर	43,101	9.12	46,083	11.94	48,583	11.77
13	कृष्णागिरी	80,817	17.05	79,188	19.67	82,987	19.85
14	मदुरई	55,434	11.69	53,347	12.00	55,249	12.52
15	माइलादुत्रयी	12,653	2.70	12,457	2.73	12,926	2.81
16	नागपट्टिनम	22,033	4.57	20,523	4.51	21,760	5.15
17	नमक्कल	63,330	13.31	61,931	13.82	64,730	14.94
18	पेराम्बालुर	47,103	10.25	46,742	12.25	49,519	11.38
19	पुदुक्कोट्टई	76,891	16.36	78,044	19.02	80,701	17.79
20	रामनाथपुरम	57,939	12.41	52,533	12.05	54,374	12.42
21	रानीपेट	39,740	8.31	39,159	8.81	41,084	8.97
22	सलेम	1,11,769	25.18	1,08,569	24.81	1,13,931	26.17
23	शिवगंगा	59,473	12.57	55,857	13.51	57,947	13.16
24	तेनकासी	34,639	7.18	34,464	7.99	36,145	7.93
25	तंजावुर	60,098	12.44	59,518	14.01	62,553	15.07
26	नीलगिरि	12,661	2.65	15,102	5.28	16,029	3.89
27	तेनी	27,390	5.72	24,946	5.80	26,448	6.31
28	तिरुवल्लुर	38,569	8.07	37,835	9.56	39,929	9.41
29	थिरुवरुर	36,777	7.95	35,510	8.43	37,556	8.93
30	तूतुकुड़ी	46,980	9.91	46,325	11.20	48,505	11.37
31	तिरुचिरापल्ली	93,324	20.34	94,054	22.99	97,561	22.27
32	तिरुनेलवेली	27,943	6.16	27,280	6.56	28,628	6.52
33	तिरुपथुर	39,688	8.59	36,781	8.64	38,350	8.53
34	तिरुपूर	56,430	11.59	54,991	13.53	60,181	16.10
35	तिरुवन्नामलाई	1,33,068	28.19	1,27,490	30.26	1,33,485	30.69
36	वेल्लोर	34,677	7.55	33,972	8.62	35,670	8.47
37	विलुप्पुरम	85,788	17.59	81,490	18.59	85,808	20.55
38	विरुधुनगर	47,854	10.47	48,422	11.62	50,272	11.58

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

क्र.सं.	ज़िला	2024-25					
		17वीं किस्त (अप्रैल 2024 - जुलाई 2024)		18वीं किस्त (अगस्त 2024 - नवंबर 2024)		19वीं किस्त (दिसंबर 2024 - मार्च 2025)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
1	अरियालुर	66,818	13.93	67,249	13.75	69,294	15.21
2	चेंगलपट्टू	26,189	5.44	26,392	5.47	27,340	6.04
3	चेन्नई	38	0.01	37	0.01	38	0.01
4	कोयंबटूर	45,263	9.47	45,747	9.37	46,707	9.89
5	कुड्डालोर	78,055	16.77	78,057	16.04	80,536	18.05
6	धर्मपुरी	98,346	20.33	98,918	20.54	1,01,137	22.28
7	डिंडीगुल	73,409	15.66	73,783	15.16	76,052	16.42
8	इरोड	72,122	14.98	72,110	14.72	75,261	17.80
9	कल्लाकुरिची	74,259	15.36	74,929	15.96	77,228	17.02
10	कांचीपुरम	21,828	4.62	22,058	4.51	22,734	5.04
11	कन्याकुमारी	1,22,205	26.41	1,21,956	25.02	1,23,011	26.16
12	करूर	48,835	9.96	49,010	9.90	50,245	10.74
13	कृष्णागिरी	83,626	17.28	83,715	17.20	85,902	19.08
14	मदुरई	56,909	12.86	56,828	11.79	57,969	12.49
15	माइलादुत्रयी	13,054	2.68	12,987	2.65	13,441	2.91
16	नागपट्टिनम	22,141	4.73	22,060	4.57	23,249	5.32
17	नमक्कल	65,491	13.65	66,028	13.64	67,805	14.68
18	पेराम्बालुर	50,467	10.73	51,507	10.74	54,417	13.03
19	पुदुक्कोट्टई	82,450	17.63	82,197	16.69	83,411	17.61
20	रामनाथपुरम	55,937	11.88	56,967	12.22	59,124	13.24
21	रानीपेट	42,109	8.70	42,072	8.58	41,462	8.82
22	सलेम	1,15,812	24.47	1,16,626	24.13	1,18,865	25.69
23	शिवगंगा	59,123	12.36	59,175	12.04	60,319	12.79
24	तेनकासी	36,539	7.64	37,006	7.61	38,949	8.77
25	तंजावुर	63,171	13.19	64,175	14.47	66,479	15.55
26	नीलगिरि	16,478	3.72	17,260	4.42	20,271	7.17
27	तेनी	27,170	5.88	27,204	5.56	27,416	6.20
28	तिरुवल्लुर	40,076	8.31	40,401	8.47	42,145	9.54
29	थिरुवरुर	38,076	7.97	38,676	8.16	40,156	9.28
30	तूतुकुड़ी	49,165	10.27	49,358	10.07	50,418	10.65
31	तिरुचिरापल्ली	99,577	21.47	1,00,919	21.19	1,03,615	21.97
32	तिरुनेलवेली	29,133	6.14	29,049	5.95	30,333	6.88
33	तिरुपथुर	38,876	8.06	38,559	7.90	40,457	9.55
34	तिरुपूर	61,753	13.07	61,964	13.00	63,477	13.63
35	तिरुवन्नामलाई	1,35,249	28.47	1,35,882	28.47	1,41,017	32.38
36	वेल्लोर	36,009	7.43	35,503	7.28	36,584	8.13
37	विलुप्पुरम	86,593	17.91	87,336	18.22	90,275	20.82
38	विरुधुनगर	51,085	10.61	51,166	10.53	51,794	11.10

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

क्र.सं.	ज़िला	2025-26					
		20वीं किस्त (अप्रैल 2025 - जुलाई 2025)		21वीं किस्त (अगस्त 2025 – नवंबर 2025)		22वीं किस्त (दिसंबर 2025 – मार्च 2026)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
1	अरियालुर	69,243	14.26	66,688	13.34	66,567	13.31
2	चेंगलपट्टू	27,030	5.68	25,872	5.17	25,870	5.17
3	चेन्नई	38	0.01	36	0.01	34	0.01
4	कोयंबटूर	46,194	9.58	44,772	8.95	44,851	8.97
5	कुड्डालोर	78,054	16.53	75,477	15.10	75,225	15.05
6	धर्मपुरी	1,00,574	20.89	1,00,210	20.04	1,00,221	20.04
7	डिंडीगुल	75,047	15.37	72,783	14.56	72,459	14.49
8	इरोड	74,287	15.21	72,299	14.46	71,694	14.34
9	कल्लाकुरिची	76,430	15.81	73,685	14.74	73,575	14.72
10	कांचीपुरम	22,555	4.83	21,376	4.28	21,291	4.26
11	कन्याकुमारी	1,19,861	24.33	1,19,202	23.84	1,18,479	23.70
12	करूर	49,725	10.12	48,318	9.66	48,211	9.64
13	कृष्णागिरी	86,131	17.88	85,329	17.07	84,925	16.99
14	मदुरई	56,743	11.65	54,857	10.97	54,909	10.98
15	माइलादुत्रयी	13,292	2.72	12,994	2.60	12,997	2.60
16	नागपट्टिनम	22,992	4.83	22,268	4.45	22,316	4.46
17	नमक्कल	66,058	13.60	64,155	12.83	64,039	12.81
18	पेराम्बालुर	53,625	11.49	51,535	10.31	51,667	10.33
19	पुदुक्कोट्टई	81,936	16.76	79,496	15.90	79,031	15.81
20	रामनाथपुरम	58,626	12.25	56,126	11.23	54,374	10.87
21	रानीपेट	41,363	8.62	39,832	7.97	39,985	8.00
22	सलेम	1,17,123	24.45	1,15,662	23.13	1,15,193	23.04
23	शिवगंगा	58,971	12.07	56,983	11.40	57,056	11.41
24	तेनकासी	37,414	7.77	36,429	7.29	36,450	7.29
25	तंजावुर	65,085	13.52	62,602	12.52	61,603	12.32
26	नीलगिरि	20,917	5.92	20,407	4.08	20,444	4.09
27	तेनी	26,931	5.55	26,065	5.21	25,988	5.20
28	तिरुवल्लुर	41,312	8.72	39,872	7.97	39,881	7.98
29	थिरुवरुर	39,575	8.29	38,407	7.68	38,400	7.68
30	तूतुकुड़ी	49,732	10.36	47,963	9.59	47,988	9.60
31	तिरुचिरापल्ली	1,00,929	20.96	99,906	19.98	99,345	19.87
32	तिरुनेलवेली	30,096	6.32	29,082	5.82	29,102	5.82
33	तिरुपथुर	39,800	8.29	38,794	7.76	38,886	7.78
34	तिरुपूर	62,618	12.92	61,310	12.26	60,689	12.14
35	तिरुवन्नामलाई	1,39,892	29.87	1,38,968	27.79	1,38,587	27.72
36	वेल्लोर	36,605	7.70	35,218	7.04	35,366	7.07
37	विलुप्पुरम	86,796	18.24	82,017	16.40	79,743	15.95
38	विरुधुनगर	51,165	10.62	49,087	9.82	48,995	9.80

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जारी किए गए लाभ और जिलावार एमआईएसएस खाते (2022-2025)

क्र. सं.	जिला	किसानों के खातों की संख्या (वास्तविक आंकड़ों में)			चालू कृषि ऋण की राशि (रुपये करोड़ में)		
		योजना वर्ष 22-23	योजना वर्ष 23-24	योजना वर्ष 24-25	योजना वर्ष 22-23	योजना वर्ष 23-24	योजना वर्ष 24-25
1	अरियालुर	19,864	28,920	26,828	329.83	531.40	520.45
2	चेंगलपट्टू	17,348	16,670	9,276	300.00	284.58	149.67
3	चेन्नई	104	371	325	1.46	6.97	6.33
4	कोयंबटूर	112,518	131,087	137,490	1,874.92	2,277.50	3,044.47
5	कुड्डालोर	114,923	149,814	182,497	1,273.06	1,912.92	3,012.94
6	धर्मपुरी	99,610	150,976	153,861	974.75	2,242.64	2,610.05
7	डिंडीगुल	86,373	110,417	130,448	1,215.80	1,704.36	2,687.34
8	इरोड	150,972	204,856	211,768	2,300.57	4,390.59	4,919.72
9	कल्लाकुरिची	15,693	35,229	39,095	293.47	743.97	970.51
10	कांचीपुरम	43,131	54,529	60,830	442.37	586.21	807.24
11	कन्याकुमारी	147,647	197,141	236,129	830.81	1,828.59	2,764.90
12	करूर	31,998	57,269	70,275	370.32	969.06	1,342.32
13	कृष्णागिरी	53,705	106,260	106,684	550.58	1,634.13	1,816.21
14	मदुरई	58,892	76,113	91,360	719.87	1,018.84	1,416.82
15	माइलादुत्रयी	9,436	7,704	4,381	182.63	153.58	96.84
16	नागपट्टिनम	15,985	27,780	36,403	236.42	479.39	642.13
17	नमक्कल	48,656	86,170	83,170	894.62	1,839.93	1,994.70
18	पेराम्बालुर	18,702	36,997	51,227	207.11	558.69	910.29
19	पुदुक्कोट्टई	66,036	83,166	102,009	514.03	849.73	1,271.92
20	रामनाथपुरम	56,961	79,590	106,114	542.78	823.43	1,488.74
21	रानीपेट	6,316	11,625	11,787	117.82	229.90	259.61
22	सलेम	244,247	315,537	355,649	2,596.52	3,849.47	5,830.23
23	शिवगंगा	49,053	62,580	79,581	452.87	751.25	1,055.82
24	तेनकासी	44,848	48,789	52,512	577.47	640.30	898.53
25	तंजावुर	244,220	269,123	299,917	2,356.80	2,976.69	4,199.20
26	नीलगिरि	39,332	47,623	52,177	386.50	559.29	848.75
27	तेनी	43,900	57,443	68,408	779.71	1,102.24	1,472.06
28	तिरुवल्लुर	58,620	78,124	86,808	734.72	1,066.67	1,578.03
29	थिरुवरुर	41,856	42,557	43,770	595.00	652.74	699.35
30	तूतुकुड़ी	35,058	61,930	80,652	431.64	908.56	1,378.26
31	तिरुचिरापल्ली	202,783	294,721	318,266	1,770.22	3,560.54	4,304.47
32	तिरुनेलवेली	35,104	63,056	83,449	456.74	1,006.37	1,376.80
33	तिरुपथुर	3,606	7,144	7,201	66.92	144.68	161.97
34	तिरुपूर	71,532	85,275	86,875	1,202.07	1,832.01	1,958.38
35	तिरुवन्नामलाई	121,189	174,402	215,895	1,192.04	2,121.37	3,391.94
36	तूतीकोरिन	3,542	8,130	10,682	55.14	152.19	220.88
37	वेल्लोर	98,872	122,343	153,102	884.55	1,191.40	2,160.36
38	विल्लुपुरम	154,682	197,916	228,724	1,595.53	2,228.90	3,445.70
39	विरुधुनगर	40,077	50,775	57,514	508.27	737.69	981.14

स्रोत:किसान ऋण पोर्टल (30 अप्रैल, 2026 तक)

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत जिलावार परियोजना की जानकारी

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना जिला	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ में)
1	अरियालुर	113	37.61
2	चेंगलपट्टू	220	66.20
3	चेन्नई	24	27.28
4	कोयंबटूर	320	214.42
5	कुड्डालोर	309	248.10
6	धर्मपुरी	202	58.64
7	डिंडीगुल	279	56.54
8	इरोड	374	206.56
9	कल्लाकुरिची	325	107.39
10	कांचीपुरम	119	101.98
11	कन्याकुमारी	145	55.80
12	करूर	160	58.42
13	कृष्णागिरी	226	233.91
14	मदुरई	213	119.71
15	माइलादुत्रयी	93	14.59
16	नागपट्टिनम	79	13.76
17	नमक्कल	328	132.50
18	पेराम्बालुर	84	32.32
19	पुदुक्कोट्टई	162	95.08
20	रामनाथपुरम	64	15.25
21	रानीपेट	130	51.11
22	सलेम	311	109.85
23	शिवगंगा	100	45.17
24	तेनकासी	117	51.72
25	तंजावुर	202	90.62
26	नीलगिरि	105	68.37
27	तेनी	163	51.03
28	तिरुवल्लुर	203	181.69
29	थिरुवरुर	194	28.04
30	तिरुचिरापल्ली	339	245.57
31	तिरुनेलवेली	103	33.31
32	तिरुपथुर	109	47.05
33	तिरुपूर	408	360.15
34	तिरुवन्नामलाई	418	150.92
35	तूतीकोरिन	192	49.70
36	वेल्लोर	105	22.78
37	विल्लुपुरम	197	61.79
38	विरुधुनगर	168	72.65

अनुबंध III

तमिलनाडु राज्य के लिए पीडीएमसी और एसएमएएम के तहत जारी की गई

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-2026**
1	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	314.96	273.15	296.18
2	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)	162.00	121.06	123.00
